पूरी बेंच

वी. रामास्वामी, सीजे, उजागर सिंह और, जी.आर. मजीठिया, जे.जे. के समक्ष

करम सिंह ,-याचिकाकर्ता।

बनाम

अधीक्षण नहर अधिकारी एवं अन्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 5126, 1986

1 जून 1988.

*उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम (आठवीं)*1873-धारा 30 एफएफ(2)-विखंडित जल मार्ग की बहाली के लिए आवेदन-ऐसे आवेदन पर जांच-संभागीय नहर अधिकारी स्वयं पूरी जांच नहीं कर रहे हैं-अधीनस्थ अधिकारी से रिपोर्ट मांगने के बजाय-ऐसी जांच के बाद आदेश पारित करना-पक्षकारों को अवसर आदेश पारित करने से पहले - ऐसा अवसर प्रदान करना - पारित आदेश की वैधता।

अभिनिर्धारित किया गया कि ,यदि वह विस्तृत जांच की सुविधा के लिए रिपोर्ट मांगने का विकल्प चुनता है, तो इसे आदेश को ख़राब करने वाला नहीं कहा जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट मंगाना जांच का ही एक हिस्सा है. हालाँकि, यह क़ानून से बाहर नहीं है कि प्रभागीय नहर अधिकारी स्वयं अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट नहीं माँग सकते। उसे कुछ सामग्री के आधार पर खुद को संतुष्ट करना होगा कि वहां एक जलधारा मौजूद थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया है या उसका विस्तार कर दिया गया है या उसे बाधित कर दिया गया है। यहां तक कि जिन न्यायालयों की प्रक्रियाएं सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होती हैं, वे भी कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन स्थानीय आयुक्त से जांच करवाते रहे हैं और अपने निर्णय स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर आधारित करते रहे हैं। जांच के बाद, यदि प्रभागीय नहर अधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि जलधारा को ध्वस्त कर दिया गया है, तो वह संबंधित पार्टी या पक्षों को नोटिस जारी करता है, और उसे सुनने के बाद ऐसा आदेश पारित करता है जैसा कि धारा की उपधारा (2) द्वारा परिकल्पित है। उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 का 30-एफएफ।

(पैरा 11).

अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा की गई कार्रवाई सख्ती से अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उप-धारा (2) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप है और इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(पैरा 14).

अभिनिर्धारित किया गया कि निःसंदेह, वह उपमंडलीय नहर अधिकारी की रिपोर्ट के साथ मामले को समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसे पक्षों को अपना मामला सामने रखने, उनकी सुनवाई करने और साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करने का अवसर देना होगा।

(पैरा 11).

अभिनिर्धारित किया गया कि पूछताछ के बाद प्रतिवादी संख्या 3 को नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 के पास अपने संबंधित तर्कों को साबित करने के लिए सबूत

पेश करने का पर्याप्त अवसर था। खण्ड नहर अधिकारी द्वारा स्वयं की संतुष्टि हेतु उप खण्ड नहर अधिकारी के माध्यम से जो जांच करायी गयी है कि एक जलधारा को ध्वस्त कर दिया गया है, उसका खण्डन किया जा सकता है। अन्यथा भी, प्रभागीय नहर अधिकारी की प्राथमिक संतुष्टि के आधार को अस्वीकार करने के लिए क़ानून में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। वर्तमान मामले में संभागीय नहर अधिकारी द्वारा बिल्कुल यही किया गया है।

(पैरा 13).

खेता राम बनाम हरियाणा राज्य 1975 पीएलजे 294।

जोरा सिंह एवं अन्य बनाम अधीक्षण नहर अधिकारी एवं अन्य 1982 पीएलजे 240।

बख्तावर सिंह बनाम अधीक्षण नहर अधिकारी 1973 पीएलजे 622.

(खारिज)।

*माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल और माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.वी. सहगल की खंडपीठ द्वारा मामला पूर्ण पीठ को भेजा गया।*24 सितंबर 1986 का दिन कानून का अहम सवाल बनकर इस केस से जुड़ा था. मामले का निर्णय अंततः 1 जून, 1988 को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री वी. रामास्वामी, माननीय श्री न्यायमूर्ति उजागर सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया की पूर्ण पीठ द्वारा किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:—

(a) 12 मार्च, 1986 और 12 अगस्त, 1986 के क्रमशः संलग्नक पी-2 और पी-3 के विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट याचिका जारी की जाए;

*(b) एक और प्रार्थना के साथ कि लंबित रहने के दौरान*रिट याचिका में उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे पानी के मार्ग को बहाल करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस बल या अन्य उपायों का उपयोग न करें, यह भी जारी किया जाए;

(c) कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भी जारी किया जाए।

(d) मामले की परिस्थितियों में प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस की सेवा भी समाप्त की जा सकती है।

(e) अनुलग्नकों की मूल/ प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना।

इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका को कृपया स्वीकार किया जाए और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, विवादित आदेश अनुलग्नक पी-2 और पी-3 के संचालन पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आई.एस.सिद्धू।

डी. एस. बराड़, डीएजी (पंजाब), प्रतिवादी संख्या 1 और के लिए; 2.

गुर रतन पाल सिंह, वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

1. तथ्य एक संकीर्ण दायरे में छिपे हैं। याचिकाकर्ता ने, मुख्तियार सिंह के साथ आपसी समझौते से, मुख्तियार सिंह की भूमि से होकर गुजरने वाला एक निजी जलधारा खोदा और उसे 5 करमा भूमि देकर मुआवजा दिया। काफी देर तक यह व्यवस्था चलती रही। प्रतिवादी क्रमांक 3 ने निजी जलधारा दिखाकर वारबंदी स्वीकृत करा ली। वारबंदी को एक जलमार्ग के आधार पर मंजूरी दी गई थी जिसे आपसी सहमति से अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपनी भूमि के माध्यम से जलमार्ग चलाने पर आपत्ति जताई कि उसने जलमार्ग को कभी मंजूरी नहीं दी थी, और उसने इसे नष्ट कर दिया।

2. प्रतिवादी संख्या 3 ने नहर अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने स्वीकृत जलमार्ग को नष्ट कर दिया है जिसे बहाल किया जा सकता है।

3. संभागीय नहर अधिकारी ने जिलेदार के माध्यम से मौके का निरीक्षण कराया। जैतू ने, बदले में, उप-विभागीय अधिकारी, धापई को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट मिलने पर संभागीय नहर अधिकारी ने पक्षकारों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया। पेश किए गए मौखिक साक्ष्यों को दर्ज किया, दलीलें सुनीं और अंततः 12 मार्च, 1986 को एक मौखिक आदेश पारित किया (अनुलग्नक पी2)। इसी आदेश को इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

4. यह दलील दी गई है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1874 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 30-एफएफ किसी भी प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर स्वयं जांच करने के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी पर एक दायित्व लगाती है। जलमार्ग के विध्वंस, परिवर्तन या विस्तार का आरोप। लेकिन मौजूदा मामले में मौके की जांच संभागीय नहर अधिकारी द्वारा जिलेदार के माध्यम से कराई गई थी। उप-विभागीय नहर अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी और जलधारा के जीर्णोद्धार के लिए उप-विभागीय नहर अधिकारी को अनुशंसा की। यह भी कहा गया है कि अधिनियम की धारा 30-एफएफ प्रभागीय नहर अधिकारी को अपने अधीनस्थों के माध्यम से मामले की जांच कराने का अधिकार नहीं देती है। पूछताछ तो उसे खुद ही करनी होगी.

5. यह भी आरोप लगाया गया कि जलकुंड एक निजी था जो याचिकाकर्ता और मुख्तियार सिंह के बीच एक मौखिक समझौते के तहत अस्तित्व में आया था। प्रतिवादी संख्या 3 समझौते का पक्षकार नहीं था। नहर प्राधिकारियों द्वारा 1974-75 में स्वीकृत की गई वारबंदी जलधारा को नियमित नहीं करेगी। संभागीय नहर अधिकारी किसी जलमार्ग की बहाली का आदेश दे सकता है जो या तो कानून द्वारा स्वीकृत है या पार्टियों के बीच एक समझौते द्वारा, या जो सुखभोग के माध्यम से निर्धारित किया गया है। एक अनाधिकृत जलस्रोत को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

6. संभागीय नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) ने अपने जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। यह है। अन्य बातों के अलावा, दलील दी गई कि जिस जलधारा को ध्वस्त किया गया था वह लगभग 20 वर्षों से चल रही थी: कि प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि को ध्वस्त जलधारा के माध्यम से सिंचाई प्राप्त हो रही थी। आगे यह दलील दी गई कि प्रतिवादी नंबर 2 ने पार्टियों को अपना मामला रखने का पर्याप्त अवसर दिया और उचित जांच के बाद उन्होंने बहाली का आदेश दिया। उनके द्वारा यह भी दलील दी गई कि मामला केवल जिलेदार और उपमंडल नहर अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सुनवाई के समय उन्होंने स्वयं मामले की गहन जांच की थी।

7. मामला मोशन सुनवाई के लिए एस.पी. गोयल और डी.वी. सहगल. जे.जे के समक्ष आया।. 24 सितम्बर 1986 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:--

" खेता राम बनाम हरियाणा राज्य 1974 पुन एलजे 294 और जोरा सिंह बनाम अधीक्षण नहर अधिकारी, 1982 पुन एलजे 240, पर भरोसा यह तर्क दिया गया है कि उत्तरी भारतीय नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 30एफएफ(2) के तहत प्रभागीय नहर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी और कनिष्ठ अधिकारियों से कराई गई जांच के आधार पर कोई भी निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। . धारा के प्रावधान ऐसे किसी निष्कर्ष की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए, मेरा मानना है कि उपरोक्त दो निर्णयों पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह याचिका इसलिए स्वीकार कर लिया गया और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया गया।

इसी तरीके से यह मामला हमारे सामने रखा गया है.

अधिनियम की धारा 30FF इस प्रकार है:--

(1) यदि कोई व्यक्ति किसी जलधारा को तोड़ता है, बदलता है, बड़ा करता है या उसमें बाधा डालता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है, तो इससे प्रभावित कोई भी व्यक्ति जलधारा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश देने के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, प्रभागीय नहर अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, इस प्रकार ध्वस्तीकरण, परिवर्तन के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में नोटिस देने की मांग कर सकता है। नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने स्वयं के खर्च पर जलधारा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए विस्तार करना, बाधा डालना या क्षति पहुंचाना।

8. अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उप-धारा (2) की व्याख्या करते हुए, तुली, जे. ***बख्तावर सिंह बनाम अधीक्षण नहर अधिकारी 1973***[1] में निम्नानुसार देखा गया:

[1] 1973 PLJ 622

"जारी किया गया नोटिस, इसलिए, अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि संभागीय नहर अधिकारी किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को शक्ति नहीं सौंप सकता है।"

विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि चूंकि जांच जिलेदार और उप-विभागीय नहर अधिकारी के माध्यम से डिविजनल नहर अधिकारी द्वारा की गई थी, इसलिए इस तरह की जांच पर आधारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था। इस फैसले का पालन आर.एन. मित्तल, जे***. खेता राम बनाम हरियाणा राज्य***[2] में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ:--

"जांच स्वयं संभागीय नहर अधिकारी द्वारा की जानी है, न कि किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से। यदि वह किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से मामले की जांच करता है तो उस जांच के आधार पर जारी किया गया नोटिस अवैध और शून्य होगा।"

9. ***ज़ोरा सिंह बनाम अधीक्षण नहर अधिकारी***[3], में पुंछी, जे. द्वारा इन दो निर्णयों का पालन किया गया, जिन्होंने निम्नानुसार कहा: -

"जिस जांच की कल्पना की गई है वह स्वयं संभागीय नहर अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच है। यह स्वीकार करते हुए कि, उन्होंने ऐसी कोई जांच नहीं की, लेकिन उप-विभागीय अधिकारी से इसे करवाने के लिए सुविधाजनक तरीके का सहारा लिया और उनकी रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए विवादित नोटिस जारी किया..... इस प्रकार, विवादित कार्रवाई, नोटिस और आदेश प्रारंभ में शून्य हैं."

10. अधिनियम की धारा 30-एफएफ में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जलधारा को तोड़ता है, उसका विस्तार करता है, या उसमें बाधा डालता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है, तो इससे प्रभावित कोई भी व्यक्ति जलधारा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्देश देने के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी को आवेदन कर सकता है। स्थिति। धारा 30एफएफ की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, प्रभागीय नहर अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जैसा कि वह उचित समझे, पाए गए व्यक्ति को लिखित रूप में नोटिस देने की मांग कर सकता है। इतना ध्वस्त करने, बदलने के लिए जिम्मेदार होना। नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने स्वयं के खर्च पर जलधारा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए विस्तार करना, बाधा डालना या क्षति पहुंचाना।

11. विध्वंस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नोटिस पूरी जांच के बाद और एक निश्चित निष्कर्ष देने के बाद जारी किया जाना चाहिए। यदि वह विस्तृत जांच की सुविधा के लिए रिपोर्ट मांगने का विकल्प चुनता है, तो इसे आदेश को ख़राब करने वाला नहीं कहा जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट मंगाना जांच का ही एक हिस्सा है. हालाँकि, यह क़ानून से बाहर नहीं है कि प्रभागीय नहर अधिकारी स्वयं अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट नहीं माँग सकते। उसे कुछ सामग्रियों के आधार पर खुद को संतुष्ट करना होगा कि वहां एक जलस्रोत मौजूद था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है या उसका विस्तार कर दिया गया है या उसे बाधित

---

[2] 1974 PLJ 294

[3] 1982 PLJ 240

कर दिया गया है। यहां तक कि जिन न्यायालयों की प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होती है, वे भी कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन स्थानीय आयुक्तों से पूछताछ करवाते रहे हैं और अपने निर्णय स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर आधारित करते हैं। जांच के बाद, यदि प्रभागीय नहर अधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि जलस्रोत को ध्वस्त कर दिया गया है तो वह संबंधित पार्टी या पार्टियों को नोटिस जारी करता है, और उसे सुनने के बाद ऐसा आदेश पारित करता है जैसा कि उप-धारा (2) में परिकल्पित है। अधिनियम की धारा 30-एफएफ। बेशक, वह उपमंडल नहर अधिकारी की रिपोर्ट के साथ मामले को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पक्षों को अपना मामला रखने, उनकी सुनवाई करने और साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करने का अवसर देना होगा। अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उप-धारा (4) उस पक्ष को अपील का अधिकार प्रदान करती है जो प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है।

12. ***बख्तावर सिंह*** के मामले में तुली जे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही कानून नहीं बनाता है। एस. 30-एफएफ की उप-धारा (2) पर दी गई व्याख्या इससे उत्पन्न नहीं होती है। ***खेता राम*** (सुप्रा) और ***ज़ोरा सिंह*** (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए अन्य दो निर्णय बख्तावर सिंह के मामले (सुप्रा) पर आधारित हैं और उन्हीं कारणों से होने चाहिए खारिज कर दिया सम्मान के साथ। बख्तावर सिंह के मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण (सुप्रा) धारा 30-एफएफ की उपधारा (2) से नहीं निकलता है। तदनुसार, हम तीनों निर्णयों को कानून के अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज करते हैं।

13. वर्तमान मामले में, पूछताछ के बाद प्रतिवादी नंबर 3 को नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 के पास अपने संबंधित तर्कों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर था। खण्ड नहर अधिकारी द्वारा स्वयं की संतुष्टि हेतु उप खण्ड नहर अधिकारी के माध्यम से जो जांच करायी गयी है कि एक जलधारा को ध्वस्त कर दिया गया है, उसका खण्डन किया जा सकता है। अन्यथा भी, प्रभागीय नहर अधिकारी की प्राथमिक संतुष्टि के आधार को अस्वीकार करने के लिए क़ानून में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। वर्तमान मामले में संभागीय नहर अधिकारी द्वारा बिल्कुल यही किया गया है। आक्षेपित आदेश में. संभागीय नहर अधिकारी ने निम्नानुसार अवलोकन किया:--

"इस आवेदन की जांच जिलेदार जैतो से करवाई गई। मामले की जांच के बाद जिलेदार द्वारा फाइल उपमंडल नहर अधिकारी ढेपई को भेज दी गई। उपमंडल नहर अधिकारी, धापई ने स्थलीय सत्यापन के बाद इस अनुशंसा के साथ फाइल भेजी कि जलधारा को बहाल किया जा सकता है। फाइल मिलने के बाद सुनवाई के लिए 12-3-86 का नोटिस जारी किया गया."

नोटिस की तामील के बाद संभागीय नहर अधिकारी ने पक्षों को सुना और निम्नलिखित आदेश पारित किया:--

"नोटिस तामील होने के बाद पावती फाइल (मामले) में दाखिल की गई और निम्नलिखित व्यक्ति 12-3-1986 को उपस्थित हुए:--

1. श्री. रूप सिंह निवेदक।

2. श्री. बंत सिंह के पुत्र जोगिंदर सिंह।

3. श्री. नत्था सिंह के पुत्र बंत सिंह।

4. श्री. पूरन सिंह का पुत्र करम सिंह।

क्रम संख्या 1, 2, 3 पर रूप सिंह आदि ने कहा कि उनके खेत को जो जलधारा दी गई थी, उसे श्री करम सिंह. पुत्र श्री. पूरन सिंह ने नष्ट कर दिया है।, और इसे फिर से शुरू किया जा सकता है यह जलमार्ग 20 वर्षों से अस्तित्व में था।

क्रमांक 4 श्री. करम सिंह ने कहा. जिस जलधारा को गिरा हुआ बताया गया था, वह न तो उनके द्वारा नष्ट किया गया था और न ही वहां कोई जलधारा थी, जैसा कि श्री रूप सिंह आदि ने बताया था। खेत से नाला एक एकड़ दूर है।

फ़ैसला
मामले का अवलोकन किया गया। और नक्शा देखा गया. आवेदक एवं दूसरे पक्ष को विस्तार से सुना एवं बहस किया गया। आवेदक की मांग है कि जो जलधारा उसके खेत में सिंचाई के लिए दी गई थी और श्री द्वारा गिराई गई थी। करण सिंह को बहाल किया जा सकता है. आवेदक की मांग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सही पाई गई है:--

1. जिलेदार जैतू ने मौका सत्यापन (भ्रमण) के बाद रिपोर्ट दी कि ध्वस्त किया गया नाला आवेदक के खेत को दिया गया स्वीकृत नाला है।

2. 3-1-1986 को अनुविभागीय अधिकारी धुपाई ने मौका मुआयना करने के बाद रिपोर्ट दी कि एबीसीडी पर जलधारा ध्वस्त कर दी गई है। वाटरकोर्स एबीएफजी वारबंदी में से एक स्वीकृत है। एसडीओ की अनुशंसा पर जलधारा को बहाल किया जा सकता है.

3. तर्कों में यह स्थापित है कि जिस जलधारा को ध्वस्त किया गया है वह एक बह रही थी।

4. श्री का तर्क. करम सिंह को यह बात स्वीकार नहीं है कि जलधारा उसके द्वारा नष्ट नहीं की गई। धारा 68 के अंतर्गत की गई वारबंदी से पता चलता है कि जलधारा चालू अवस्था में अस्तित्व में थी।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं सिंचाई प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए श्री द्वारा जलधारा एबीसीडी को ध्वस्त किया गया। करम सिंह को उत्तरी भारत नहर और डीआरजी की धारा 30-एफएफ के तहत बहाल किया गया है। 1873 का अधिनियम 8 यथासंशोधित। कैनाल रेस्ट हाउस जैतू में निर्णय की घोषणा की गई।"

14. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई कार्रवाई सख्ती से अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उपधारा (2) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप है। और इसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता.

15. इस मामले का एक और पहलू भी है जिस पर गौर किया जाना चाहिए. रिट याचिका का पैरा संख्या 4 इस प्रकार है:--

"यद्यपि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त तरीके से निजी जलकुंड की खुदाई के लिए मुख्तियार सिंह के साथ एक समझौता करके अपनी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की थी। प्रतिवादी नंबर 3 पर नहर अधिकारियों की मिलीभगत से वर्ष 1974-75 में उपरोक्त निजी जलधारा को बिंदु ए से आर तक विस्तारित दिखाकर वारबंदी स्वीकृत कराने का आरोप है।"

लिखित कथन का संगत पैरा निम्नलिखित शब्दों में है:--

"प्रवेश नहीं किया गया. वारबंदी को उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम 8, 1873 (संशोधित) की धारा 68 के तहत मंजूरी दी गई थी और संबंधित शेयरधारकों को सुनने के बाद नक्का तय किया गया था। रिकार्ड के अनुसार विवादित जलधारा पर मुख्तियार सिंह की कोई वारी नहीं है।"

16. एक बार वारबंदी को संबंधित शेयरधारकों को सुनने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंजूरी दे दी गई है। उपाय, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत आता है और उसे संपार्श्विक कार्यवाही में आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि जिस जलधारा के आधार पर वारबंदी तय की गई है वह अधिकृत नहीं है।

17. ऊपर दर्ज निष्कर्ष के मद्देनजर, रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, हम पार्टियों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा